वांछित सूचना-

महोदय, विद्यावारिधि छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएंअपेक्षित हैं-

1. विद्यावारिधि छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि व अवधि कितनी है?
2. छात्रवृत्ति हेतु चयन की प्रक्रिया व आधार क्या है?
3. छात्रवृत्ति हेतु उपस्थिति के नियम क्या हैं?
4. न्यूनतम उपस्थिति की गणना प्रत्येक माह के अनुसार की जाती है अथवा समेकित रूप से?
5. छात्रवृत्ति के संबंध में किसी संशय/प्रश्न/विवादकी स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसे है? क्या सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय की अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवहेलना अथवा पालना से मना किया जा सकता है?
6. राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के पास उपलब्ध छात्रवृत्ति की संपूर्ण नियमावली की प्रति उपलब्ध करवाएं।
7. क्या छात्रवृत्ति के नियम सभी परिसरों के लिए समान हैं? यदि नहीं तो जयपुर परिसर की नियमावली की प्रति उपलब्ध करवाएं।
8. क्या विद्यावारिधि छात्रों को स्टेशनरी व्यय हेतु कोई वार्षिक अनुदान दिया जाता है? यदि हां तो उससे सम्बन्धित नियमावली की प्रति उपलब्ध करवाएं।
9. क्या वार्षिक अनुदान हेतु आवेदन छात्रवृत्ति आवेदन के साथ करना अनिवार्य है? अथवा स्वतंत्र रूप से भी अनुदान हेतु आवेदन दिया जा सकता है?
10. क्या वार्षिक अनुदान अथवा छात्रवृत्ति छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं करने पर वह राशि निरस्त हो जाती है?
11. यदि किसी छात्र की उपस्थिति किसी माह में अनिवार्य उपस्थिति से कम है, लेकिन अनन्तर माह में वह अनिवार्य उपस्थिति पूरी कर लेता है। इस स्थिति में छात्र को न्यून उपस्थिति वाले माह कीछात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। लेकिन क्या इस आधार पर अनन्तर माह की छात्रवृत्ति रोकी जा सकती है?

(उपर्युक्त सूचनाएं/नियम जयपुर परिसर के सन्दर्भ में अपेक्षित हैं)